बिहार सरकार

वाणिज्य कर विभाग

वाणिज्य कर विभाग, बिहार में संविदा के आधार पर कर विशेषज्ञ के पद पर नियोजन हेतु विज्ञापन

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रभावी कार्यान्वयन, विशलेषण एवं राजस्व संग्रहण के अनुश्रवण हेतु वाणिज्य–कर विभाग, बिहार के अन्तर्गत प्रशिक्षण विशेषज्ञ का 01 (एक) पद, कर विशेषज्ञ का 02 (दो) पद एवं अंकेक्षण विशेषज्ञ का 01 (एक) पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु निम्नलिखित शर्त्तों के अधीन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :–

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	आरक्षण	योग्यता
1	प्रशिक्षण विशेषज्ञ	01	अनारक्षित	बिहार वित्त सेवा के लेवल–12 अथवा इससे ऊपर वेतनमान के सेवानिवृत्त पदाधिकारी। आवेदक को माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो जिससे कि बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रभावी कार्यान्वयन, विश्लेषण एवं राजस्व संग्रहण के अनुश्रवण हेतु विभागीय संरचना को प्रभावकारी रूप दिया जा सके।
2	कर विशेषज्ञ	02	01 (एक) पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं 01 (एक) पद अनारक्षित (महिला) के लिए आरक्षित है। आरक्षित कोटि के उम्मीदवार को क्रीमिलेयर रहित प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।	भारतीय प्रशासनिक सेवा/ भारतीय राजस्व सेवा/बिहार वित्त सेवा के लेवल–13 के अथवा इससे ऊपर वेतनमान के सेवानिवृत्त पदाधिकारी। आवेदक को माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो जिससे कि बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रभावी कार्यान्वयन, विश्लेषण एवं राजस्व संग्रहण के अनुश्रवण हेतु विभागीय संरचना को प्रभावकारी रूप दिया जा सके।
3	अंकेक्षण विशेषज्ञ	01	अनारक्षित	बिहार वित्त सेवा के लेवल–13 के अथवा इससे ऊपर वेतनमान के सेवानिवृत्त पदाधिकारी। आवेदक को माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो जिससे कि बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रभावी कार्यान्वयन, विश्लेषण एवं राजस्व संग्रहण के अनुश्रवण हेतु विभागीय संरचना को प्रभावकारी रूप दिया जा सके।

1. **उम्र सीमा** :– उम्र सीमा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित प्रावधान के अनुरूप होगा।
2. **मानदेय** :– संविदा पर नियोजित होने वाले कर विशेषज्ञ का मासिक मानदेय सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त मूल वेतन + सेवानिवृति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महँगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि + सेवानिवृति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महँगाई भत्ता की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वहीं होगा, परन्तु पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि उक्त सेवानिवृत सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी। नियोजन की अवधि में सरकारी कार्यवश यात्राा किए जाने की स्थिति में यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता उस दर से अनुमान्य होगा जो उनके धारित पद के लिए एक नियमित सरकारी सेवक को अनुमान्य है।
3. **चयन प्रक्रिया** :– प्रशिक्षण विशेषज्ञ, कर विशेषज्ञ एवं अंकेक्षण विशेषज्ञ के पद पर संविदात्मक नियोजन हेतु प्राप्त आवेदनों पर सामान्य प्रशासन विभागीय संकल्प संख्या–10000, दिनांक–10.07.2015 में गठित राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा। चयन समिति की अनुशंसा पर वाणिज्यकर विभाग के सक्षम नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन किया जाएगा। यह पद स्थायी स्थापना का भाग नहीं होगा।
4. **निम्नांकित कोटि के कर्मियों का नियोजन नहीं किया जा सकेगा** :–

(क) जिन पर कोई निगरानी/विभागीय कार्यवाही का मामला चल रहा हो ।

(ख) जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो।

(ग) जिन पर किसी भी तरह का आपराधिक मामला दर्ज हो अथवा किसी मामले में दंडित हो ।

(घ) चयन समिति की दृष्टि में जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में सक्षम नहीं हो।

उपर्युक्त बिन्दु–(क), (ख) एवं (ग) के आशय का आवेदक द्वारा एक शपथ पत्र मूल रूप में अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। वाणिज्य कर विभाग, बिहार द्वारा भी निरर्हताओं के संबंध में विभागीय स्तर पर आवश्यक जाँच कर ली जाएगी।

5. आवेदन पत्र के साथ पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. उपर्युक्त शर्त्तों के अधीन प्रशिक्षण विशेषज्ञ, कर विशेषज्ञ एवं अंकेक्षण विशेषज्ञ के पद पर नियोजन के लिए इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन संलग्न विहित प्रपत्र में बंद लिफाफे में दिनांक– **10.02.2023** तक आयुक्त कोषांग, वाणिज्य कर विभाग, विकास भवन, बेली रोड, पटना अवस्थित कार्यालय में जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के लिफाफा के ऊपर ''वाणिज्य–कर विभाग, बिहार में प्रशिक्षण विशेषज्ञ/कर विशेषज्ञ/अंकेक्षण विशेषज्ञ के संविदा आधारित पद पर नियोजन हेतु आवेदन'' अंकित किया जाएगा।
7. आवेदन का विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट https:// www.biharcommercialtax.gov.in पर उपलब्ध है।

विस्तृत जानकारी के लिए बेबसाईट **state.bihar.gov.in/prdbihar** पर देखा जा सकता है।

(सुबोध राम)
राज्य कर अपर आयुक्त,
बिहार, पटना

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।